

देश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
वर्ग संख्या 267/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टा कॅपिटल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, द्वितीय तल, गुमान प्रथम, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

श्री ओमप्रकाश जाट पुत्र श्री नेकी राम जाट,

श्रीमती मुनेश कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश जाट,

पता:- 131-ए, प्रेम नगर प्रथम, गुर्जर की थड़ी, जयपुर।

अन्य पता:- पारले बिस्किट प्राईवेट लिमिटेड, के. जे. मार्केटिंग, बी-2/445, चित्रकूट, वैशाली नगर,
जयपुर।

अन्य पता:- रोनिजा जाट, तहसील लक्ष्मणगढ़, अलवर।

अन्य पता:- प्लेट नं. एस-3, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी-51, ब्लॉक सी, ग्राम हाथोज, मंगलम सिटी,
कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 26.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2016 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मुनेश कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश जाट के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. सी-51, ए. जी हाईडस, योजना मंगलम सिटी, सी ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित प्लेट नं. एस-3, कुल क्षेत्रफल 910 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 20,69,666/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,69,666/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 21,90,260/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मुनेश कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश जाट के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. सी-51, ए. जी हाईट्स, योजना मंगलम सिटी, सी ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लैट नं. एस-3, कुल क्षेत्रफल 910 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (ग्रामीण)